शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन)

अधिनियम, 1976

धाराओं की व्यवस्था

धारा

1- संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।

2- अधिनियम 33 से 1976 का निरसन

3- व्यावृत्तियाँ

4- कानूनी कार्यवाही का उपशमन

5- निरसन और व्यावृत्तियाँ

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन)

निरसन अधिनियम, 1999

1999 का 15

[1][22 मार्च, 1999]

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरस्त करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।-(1) इस अधिनियम को नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।

2. यह प्रथमतः संपूर्ण हरियाणा और पंजाब राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है; और यह ऐसे अन्य राज्य पर भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अपनाता है।

3. यह हरियाणा और पंजाब राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 11 जनवरी, 1999 को और किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के अधीन इस अधिनियम को अपनाता है, ऐसे अपनाए जाने की तिथि को लागू हुआ माना जाएगा; और नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) के निरसन के संदर्भ का तात्पर्य, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, उस तिथि से होगा जिस दिन यह अधिनियम ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है।

2. अधिनियम 33, 1976 का निरसन- नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जाएगा) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

3. व्यावृत्तियाँ - (1) मूल अधिनियम के निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा-

(क) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन किसी रिक्त भूमि का निहित होना, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया हो;

(ख) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन छूट प्रदान करने वाले किसी आदेश की वैधता या उसके अधीन की गई किसी कार्रवाई पर, किसी न्यायालय के किसी विपरीत निर्णय के बावजूद;

(ग) धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत छूट प्रदान करने की शर्त के रूप में राज्य सरकार को किया गया कोई भुगतान।

(2) जहाँ-

(क) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत कोई भूमि राज्य सरकार में निहित मानी जाती है, परंतु उसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है; और

(ख) ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई राशि का भुगतान किया गया है, तो ऐसी भूमि तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक कि भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार को वापस नहीं कर दी जाती।

1. दिनांक 22-3-1991 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और भारत के राजपत्र, एक्सटेंशन, भाग II, एस. 1, दिनांक 22-3-1991 में प्रकाशित हुआ।

4. विधिक कार्यवाहियों का उपशमन- इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष मूल अधिनियम के अधीन किए गए या किए जाने हेतु प्रकल्पित किसी आदेश से संबंधित सभी कार्यवाहियाँ उपशमित होंगी:

परन्तु यह धारा मूल अधिनियम की धारा 11, 12, 13 और 14 से संबंधित कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगी, जहाँ तक ऐसी कार्यवाहियाँ उस भूमि से संबंधित हैं, जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है।

5. निरसन और व्यावृत्ति- (1) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2. ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई या किया गया कार्य इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन किया गया माना जाएगा।